न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत
(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

वा संख्या :— 139/2014
र्णय दिनांकः— 30.7.2015

उनवान

रतन पुत्र श्रीनारायण जाति ढोली निवासी रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री के0एल0ठाडा, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 व ख0न0 1005 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। ख0न0 1002 व ख0न0 1005 साबिक ख0न0 371 व 372 से बने है। जिस पर वादी का अपने पूर्वजों के समय सें कब्जा काश्त चला आ रहा होने के कारण दिनांक 20.6.1983 को भू आवंटन सलाहाकार समिति केम्प रूपपुरा द्वारा साबिक ख0न0 371/1 मे से रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 372 मे से 1 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा आंवटन किया गया था। वादग्रस्त आराजी पर वादी का आवंटन के पूर्व से ही निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 31.12.1987 को वादग्रस्त आराजी साबिक ख0न0 371/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 372 मे से 1 बीघा 9 बिस्वा कुल 4 बीघा की गैर खातेदारी मे अंकित कर दी गई तथा आवंटन शुदा भूमि 6 बीघा की शेष 2 बीघा जमीन का गैर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किया गया। जबकि वादी का आज भी आवंटन शुदा 6 बीघा भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त है।

यह कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वादग्रस्त आराजीयात को वादी के खातेदारी मे दर्ज नही कर सम्पूर्ण आराजी 6 बीघा को पुनः सिवायचक मे दर्ज कर दिया, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

आराजीयात वादी की आवंटन शुदा आराजी हैं तथा वादी का आवंटन से पूर्व अर्थात विगत 40–50 वर्षों से निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा होने के कारण वादी का कब्जा मुखालिफाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर भी वादी वादग्रस्त आराजीयात पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्व रेकार्ड मे वादग्रस्त आराजी पुनः सिवायचक मे दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण के मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा वादी को आये दिन बेदखल करने व पेनेल्टी वसूल करने की धमकी देते है, इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 व ख0न0 1005 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को आवंटनशुदा रकबे 6 बीघा के समकक्ष रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही बेदखल करे।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत मे प्रस्तुत हुआ। वादी वकील व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तोवजात एवं बयानात का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 वाके ग्राम रूपपुरा मे ना0न0 333 दिनांक 31.12.87 से ख0न0 371/1 मे रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 372 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा रतनलाल पुत्र श्रीनारायण ढोली सा0 देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी है। प्रदर्श 4 नामान्तरकरण संख्या 333 की सत्य प्रतिलिपी है। प्रदर्श 6 फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 371 मि0 से हाल ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 व साबिक ख0न0 372/2 से हाल ख0न0 1005 रकबा 0.19 है0 कायम हुये है। प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी वाके ग्राम रूपपुरा सम्वत 2070–2073 मे आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 व 1005 रकबा 0.19 है0 मे सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। प्रदर्श 9 ता प्रदर्श 10 वादी द्वारा आवंटित भूमि की कीमत भूमि राशि जमा कराने की रसीदे है। पेरोकार सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट मे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट के समय सिवायचक गलत रूप से दर्ज की गई है। नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 31.12.87 के अनुसार आवंटी रतनलाल पुत्र श्रीनारायण ढोली के नाम ख0न0 371/1 मे रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 372 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल 4 बीघा भूमि अमल किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ख0न0 371/1 मे रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 372 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा वादी को आवंटित भूमि है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 333 वादी के नाम गैर खातेदार का खुला है। वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट के समय सिवायचक गलत रूप से दर्ज की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वादी ने भी साबिक आराजी ख0न0 371 मि0 एवं साबिक ख0न0 372/2 से बने हाल आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 व ख0न0 1005 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा पर वादी का कब्जा काश्त माना है। चूकि वादी को 31.12.87 को साबिक आराजी ख0न0 371/1 मे रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 372 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रूपपुरा की गैर खातेदारी दी गई थी, इस कारण वादी का लगातार कब्जा होने से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी भी हो चुका है। चूकि साबिक आराजी ख0न0 371 से हाल आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 वाके

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

ग्राम रूपपुरा कायम हुआ है जिसमे वादी 1.00 हैक्टर अर्थात 4 बीघा की हद तक की ही खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद वादी आंशिक डिकी किया जाकर वादी को हाल आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे 1.00 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुस्प राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.7.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज०)

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

(मूल वाद मे डिक्री) प्रपत्र –5
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत

उनवान
रतन पुत्र श्रीनारायण जाति ढोली निवासी रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम
1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री के0एल0ठाडा, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

मुकदमा नम्बर :– 139 वर्ष 2014

वादी की ओर से श्री के0एल0ठाडा वकील वादी प्रतिवादीगण की और से पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 30.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाकर वादी को हाल आराजी ख0न0 1002 रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे से 1.00 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुस्प राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner